

पत्र संख्या : रब/2701 गौयो० ज०सं० 04/12-०३

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी
प्रधान सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/रॉची/हजारीबाग
मुख्य अभियंता (य००)/अग्रिम योजना, जल संसाधन विभाग
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन
पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखण्ड।

रॉची, दिनांक : 13.04.2012

विषय :— वित्तीय वर्ष 2012-13 के मांग संख्या— 49 जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष—2701— मध्यम सिंचाई उप मुख्य शीर्ष—03—मध्यम सिंचाई—वाणिज्यिक, लघु शीर्ष—001 निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष—07—मध्यम सिंचाई परियोजना मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2012-13 में बजट मुख्य शीर्ष 2701— मध्यम सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट—I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :—

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख रु में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग / 2701—मध्यम सिंचाई	03 मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक	001—निदेशन तथा प्रशासन / 07—मध्यम सिंचाई परियोजना	5182.200

कुल आवंटित राशि — रुपये एक्यावन करोड़ बेरासी लाख बीस हजार मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2012-13 के बजट उपबंध ₹ 8890.52 लाख (अठासी करोड़ नब्बे लाख बावन हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का वेतनादि या अन्य दायित्व का भुगतान बिना विभागीय अनुमति के नहीं किया जाय।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।

१.१.८८

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहा. अभि.

४५५

(एस. के. सिन्हा)
संयुक्त सचिव (आभि.)


४५५
(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

४५५

7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. यदि आवंटित गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य के साथ अधियाचना प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं किया जायेगा।
9. यदि किसी इकाई में आवंटित राष्ट्रि (वेतन एवं भत्ता को छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राष्ट्रि का तुरत प्रत्यर्पण कर दें।
10. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा।
11. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
12. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त


(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- ०३

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिनू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा/देवघर/दुमका/गुमला/साहेबगंज/गोड़डा/हजारीबाग/जमशेदपुर/चाईबासा/जामताड़ा/खूंटी/सिमडेगा/राजमहल/मधुपुर/पाकुड़ सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

रॉची, दिनांक :- 13.04.2012


(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- ०३


प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ज०सं०वि०/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो०), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि०)/उप सचिव (अभि०), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, ज०सं०वि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

रॉची, दिनांक :- 13.04.2012


(सुरेश प्रसाद भगत)


सहा. अभि०


(एस० के० सिन्हा)

संयुक्त सचिव (अभि०)


(बी० सी० निगम)

विशेष सचिव


(एस० के० शतपथी)

प्रधान सचिव

परिशेष I

मुख्य शीर्ष-2701-मध्यम सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिजिक
लघु शीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष-07-मध्यम सिंचाई परियोजना
मांग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

पत्रांक 03 दिनांक /3.5.12 का अनुलेखनक

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष 2012-2013	विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते										विस्तृत शीर्ष-02-यात्रा व्यय				विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय			
		वेतन	जीवन यापन भत्ता	योग	15.11.2000 एल0टै०सौ० देशीय यात्रा कार्यालय किरायादरै किराया,दरै कर	पूर्व का व्यय	कार्यालय किराया,दरै कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष वर्दी	दूरभाष वर्दी	विद्युत व्यय मोटरगाड़िया विद्युत प्रभार	शीर्ष-04-वारसाडिया विद्युत व्यय	शीर्ष-07-वारसाडिया विद्युत व्यय	शीर्ष-04-वारसाडिया विद्युत प्रभार	शीर्ष-07-वारसाडिया विद्युत व्यय	शीर्ष-04-वारसाडिया विद्युत प्रभार	शीर्ष-07-वारसाडिया विद्युत व्यय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	मुख्य अभियोजना, रोची	15.00	9.00	24.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, देवघर	32.00	21.00	53.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, रोची	31.00	18.00	49.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, रोची	9.00	6.00	15.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	अग्रिम योजना अंचल दुमका	5.00	3.00	8.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	अग्रिम योजना अंचल रोची	7.00	4.00	11.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	जलपथ अंचल, गुमला	49.00	29.00	78.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	जलपथ अंचल, चाईबासा	57.00	34.00	91.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	जलपथ अंचल, दुमका	47.00	28.00	75.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	जलपथ अंचल, रोची	60.00	35.00	95.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	जलपथ अंचल, हजारिबाग	45.00	27.00	72.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	रुपांकण आयोजन एवं मोनिटरिंग अंचल, रोची	52.00	31.00	83.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	रुपांकण अंचल, देवघर	40.00	24.00	64.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
14	सिंचाई अंचल, जसीडीह	50.00	30.00	80.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	सिंचाई अंचल, जामताड़ा	31.00	19.00	50.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
16	सिंचाई अंचल, मधुपुर	33.00	20.00	53.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17	सिंचाई अंचल, साहेबगंज	26.00	15.00	41.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभियोजन)

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियोजन

(बी. सी. निराम)
विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव


(बी. सी. निराम)

49/2 03 12/2013 13.04.2012

वित्तीय वर्ष 2012-2013			विस्तृत शीर्ष-01-पेतन एवं भर्ते			विस्तृत शीर्ष-02-यात्रा व्यय			विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय			विस्तृत शीर्ष-04-मोटरगाडियां इधन एवं अन्य अन्य व्यय			विस्तृत शीर्ष-05-राशि लाख रुपये में		
क्रम सं	कार्यालय का नाम	वेतन जीवन यापन भत्ता	योग	15.11.2000 एल0टी0सी० देशीय यात्रा के पूर्व का	कार्यालय कियाया,दरे, आपूर्ति एवं सामग्री कर व्यय	दूसाथ वर्दी विद्युत व्यय मोटरगाडियां इधन एवं अन्य व्यय	विद्युत व्यय मोटरगाडियां इधन एवं अन्य व्यय	विद्युत व्यय मोटरगाडियां इधन एवं अन्य व्यय	विद्युत व्यय मोटरगाडियां इधन एवं अन्य व्यय	विद्युत व्यय मोटरगाडियां इधन एवं अन्य व्यय							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18 सिंचाई यांत्रिक अंचल ,रौची	10.00	5.00	15.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	15.50	
19 अग्रिम योजना प्र० डुसका	6.00	3.00	9.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.10	
20 अग्रिम योजना प्र०, रौची	71.00	43.00	114.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.10	
21 अग्रिम योजना प्र० साहेबगंज	11.00	7.00	18.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.10	
22 आयोजन गुण नियंत्रण एवं मो० प्रमङ्गल, देवधर	92.00	55.00	147.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.10	
23 गण पम् नहर प्रमङ्गल , साहेबगंज	95.00	57.00	152.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.10	
24 गुण नियंत्रण प्रमङ्गल, रौची	88.00	53.00	141.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.10	
25 जलपथ प्रमङ्गल, रुकुटी	112.00	67.00	179.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.10	
26 जलपथ प्रमङ्गल, गुमला	71.00	43.00	114.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.10	
27 जलपथ प्रमङ्गल सं.-1, चकधरपुर	50.00	30.00	80.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.10	
28 जिविर — चाईबासा	55.00	33.00	88.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.10	
29 जलपथ प्रमङ्गल सं.-1,चैनपुर	61.00	36.00	97.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.10	
30 जलपथ प्रमङ्गल सं.-2,चैनपुर गुमला	53.00	32.00	85.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.10	
31 जलपथ प्रमङ्गल सं.-1, चिमडेगा	80.00	48.00	128.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.10	
32 उनवास पदाधिकारी, देवधर	31.00	18.00	49.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.10	
33 सिंचाई परियोजना, रौची	32.00	19.00	51.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.10	

11.05.1
 (सुरेष प्रसाद भगत)
 सहायक अधिकारी

मुख्यमंत्री
 (श्री० सी० निराम)
 संयुक्त सचिव

(एस० के० शतपथी)
 प्रधान सचिव

सं	वित्तीय वर्ष 2012-2013	विस्तृत शीर्ष-01—वेतन एवं भत्ते										विस्तृत शीर्ष-03—प्रशासनिक व्यय					
		वेतन	जीवन यापन भत्ता	योग	15.11.2000 एल0टी0सी0 के पूर्व का	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष वर्दी	विद्युत व्यय मोटरगाड़ियां इधन एवं अन्य व्यय	विस्तृत शीर्ष-04—गोटराणडिया विधि प्रभार अभियुक्त	विस्तृत शीर्ष-02—यात्रा व्यय	विस्तृत शीर्ष-07—अन्य व्यय	शाश्वत लाख रुपये में			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
34	पुनासी बैंध प्रमंडल, पुनासी शिविर—देवधर	67.00	40.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.10
35	पुनासी स्पीलवे प्रमंडल, पुनासी देवधर	89.00	53.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.10
36	रुपांकण प्रमंडल सं.-2, देवधर	35.00	21.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.10
37	रुपांकण प्रमंडल सं.-4, देवधर	49.00	29.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.10
38	रुपांकण प्रमंडल सं.-2, रौची	142.00	85.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.10
39	लघु वितरणी प्रमंडल, कुलडगाल	49.00	29.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.10
40	विशेष भू—अर्जन पदार्थ, चाईबासा	52.00	31.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.10
41	विशेष भू—अर्जन पदार्थ तेनुधाट परियोजना, हजारीबाग	41.00	25.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.10
42	विशेष भू—अर्जन पदार्थ, देवधर	49.00	29.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.10
43	विशेष भू—अर्जन पदार्थ मध्यम सिंचाई परियोजना, डुमका	50.00	30.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.10
44	विशेष भू—अर्जन पदार्थ, रौची	87.00	52.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.10
45	सचिव(प्रा०) मुख्य अधिकारी, गालडीह, आदित्यपुर	2.50	1.50	4.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10
46	संचाई प्रमंडल, कुडाहित	65.00	39.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.10
47	संचाई प्रमंडल गोदाडा, शिविर—महगामा	63.00	37.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.10

मुख्य प्रभार सिन्हा
सहायक अभियंता

मुख्य प्रभार सिन्हा
सहायक अभियंता

विशेष सचिव
(श्री० सी० नियम)

(एस० के० शतापथी)
प्रधान सचिव

2010/08/31 21:00:00 31.08.2010 31.08.2010 31.08.2010

१८

100
100